संख्या: 15/2015/42/35-4-2015

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी,2015**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या: 998/ले0-17/2012(ऊषा), दिनांक 12.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या: जी-25011/1/2007-एडमिन. (एन0बी0ओ0), दिनांक 12.05.2014 द्वारा ऊषा योजना को राजीव आवास योजना का पार्ट मानते हुये वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 राज्य हेतु रू0 2,24,00,000/-की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष रू0 10,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 1068/35-4-2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 2,14,00,000/- के सापेक्ष रू0 45,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव किया गया है। अत: तदनुसार श्री राज्यपाल "ऊषा" योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रू0 45,00,000/- (रू0 पैतालिस लाख मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह स्वीकृति वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 एवं संख्या: बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28.11. 2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मद के समक्ष अंकित धनराशि तक ही समिति रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2014-15 के अनुपूरक अनुदान के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक " 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-008-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-नगरीय सांख्यिकी एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 के प्रस्तर-2 (15) एवं संख्या: बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28.11.2014 में उल्लिखित आदेशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या:15/2015/42(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. नियोजन अनुभाग-1
7. अनु सचिव, भारत सरकार योजना मंत्रालय सांख्यिकीय विभाग, 9वां तल, जीवन प्रकाश भवन, 25 के0जी0मार्ग, नई दिल्ली-11001
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल/संबंधित पत्रावली।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in